

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## आज्ञा


क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1988 /2019 दिनांक : 5.10.2019

श्री मुकेश परनामी (RJ0633), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-02, भीलवाड़ा को दिनांक 10.10.2019 से 24.10.2019 तक 15 दिनों का पितृत्व अवकाश इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है, कि दिनांक 25.10.2019 से 29.10.2019 तक के राजपत्रित अवकाशों का उपभोग नहीं करेंगे ।

श्री परनामी की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-02, भीलवाड़ा के पद पर ही होने की संभावना है ।

आज्ञा से

 4-10-19


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/13/2010/ 9356

दिनांक : 05.10.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा को उनके पत्रांक 10039 दिनांक 23.09.2019 के सन्दर्भ में ।
3. श्री मुकेश परनामी (RJ0633), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-02, भीलवाड़ा ।
4. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-02, भीलवाड़ा ।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ।

 5.10.2019  
सहायक रजिस्ट्रार